



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे/ SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

	 <p>कार्यालय Office of the मुख्य वाणिज्य प्रबंधक Chief Commercial Manager, बिलासपुर – (छ.ग.) Bilaspur(C.G.)</p>
<p>दर परिपत्र सं. 50(माल)/2017</p>	<p>Rates Circular No.50(G)/2017</p>
<p>सं No.C/SECR/BSP/FIS/Policy/ Pt.II/ 1258</p>	<p>दिनांक / Date: 09/03/2017</p>

सभी मुख्य स्टेशन प्रबंधक, स्टेशन अधीक्षक, मुख्य माल पर्यवेक्षक, माल पर्यवेक्षक, माल लिपिक एवं साईडिंग लिपिक, वे-ब्रिज लिपिक, मुख्य वाणिज्य निरीक्षक, वाणिज्य निरीक्षक, वरिष्ठ ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट, ट्राफिक निरीक्षक एकाउंट/दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू। मंडल रेल प्रबंधक/DRMs/द.पू.म.रे. बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, /Sr.DCMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। वरिष्ठ मण्डल परिचालन प्रबंधक, /Sr.DOMs बिलासपुर, रायपुर एवं नागपुर। मुख्य वाणिज्य नियंत्रक, /Commercial Control बिलासपुर। एरिया रेलवे मैनेजर(ARMs) भिलाई, कोरबा, षहडोल एवं ब्रजराजनगर। मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/CPRO बिलासपुर, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/FA&CAO, उप मु.लेखाधिकारी (टी.ए.) /Dy.FA&CAO(T) एवं वरिष्ठ एकाउंट अधिकारी(टी.ए.) द.पू.म.रे. बिलासपुर/Sr.AFA(TA) वरिष्ठ उप मुख्य महाप्रबंधक/SDGM, मुख्य मालभाड़ा यातायात प्रबंधक,/CFTM मुख्य यांत्रिक अभियंता/CME, मुख्य अभियंता/CE, मुख्य विद्युत अभियंता/CEE, द.पू.म.रे. बिलासपुर। प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा अधिकारी, /Principal Director of Audit दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर। मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/CCMs:- पूर्व रेलवे, कोलकाता, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली, दक्षिण रेलवे, चैन्नई, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई, मध्य रेलवे, मुंबई सीएसटी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगांव गुवाहाटी, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद  
कार्यकारी निर्देशक, रेल मूवमेन्ट/EDRM, रेलवे बोर्ड, पूर्व रेलवे हाउस, कोलकाता।कॉन्कोर, इस्को हाउस, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता  
कार्यपालन निर्देशक, कीस चाणक्यपुरी नई दिल्ली, कार्यपालन निर्देशक (यात्री विपणन), रेलवे बोर्ड, रेल भवन नई दिल्ली।

**विषय/Sub:- Policy Guidelines -Transportation Products – Block Rakes, Mini Rake, Two Point Combinations etc.**

**संदर्भ/Ref:-** (i) Railway Board's Rates Master Circular/2016 dated 14.07.2016 on Block Rakes /Mini Rake/Two Point Combination etc and Corrigenda thereto.  
(ii) This office Rates Circular No. 130(G)/16, 132(G)/16,145(G)/16, 146(G)/16 ,31(G)/17 & 35(G)/17

\*\*\*\*\*

उपर्युक्त विषयक रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या TCR/1017/2017/02 दिनांक 08/03/2017 (Corrigendum No.06 to RATES MASTER CIRCULAR/2016 dated 14.07.2016 on BLOCK RAKES/MINI RAKE/TWO POINT COMBINATION ETC) आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत पूर्ण विवरण नीचे दिया जा रहा है।


Contd..2..

- 1.0 Please refer to Annexure I to Rates Master Circular under reference wherein compositions of Block Rakes have been prescribed for charging at trainload class rate.
- 2.0 Sanction of the Railway Board is hereby accorded for fixing the Rake Composition for carrying 18 meters long Rails. This rake shall consist of 40 wagons arranged in 10 units each of four converted BRN/BRNA wagons. This rake shall be named as Rail Panel Transportation Rake. Accordingly, following entry shall be inserted below the existing entry 34(c) in Annexure I to above referred Rates Master Circular:

Carriage of 18 meters long Rail	
10 units each of four converted BRN/BRNA wagons i.e. total 40 converted BRN/BRNA wagons	40 (standard rake size)

- 3.0 In the above rake composition, BRN/BRNA wagons shall be charged at respective PCC for class of commodity being carried. A Supplementary Charge of 5% on Base Freight Rate shall be levied for the above rake composition.
- 4.0 All other conditions of the Rates Master Circular under reference shall remain unchanged.
- 5.0 These instructions shall come into effect from 10.03.2017 and shall remain valid till further advice.
- 6.0 This issues in consultation with Mechanical Engineering and Traffic Transportation Directorates and with concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

कृपया सभी संबंधित कर्मचारी नोट करें एवं तदनुसार कार्यवाही करें ।

  
(एस. एम. गोन्डाने)  
उप मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक / पण्य  
कृते मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक